संख्या-375/2024/आई/731596/23-1-24/008-23-1002(002)/117/2024

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 02 सितम्बर, 2024

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से वाराणसी मण्डल के विभिन्न जनपदों के 13 चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ पत्र संख्या-9880/CE-HQ1/RSN3054/VNS/2024-25, दिनांक 13.08.2024 एवं पत्र संख्या-9909/CE-HQ1/RSN3054/VNS/2024-25, दिनांक 14.08.2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार **वाराणसी मण्डल के विभिन्न जनपदों के 13 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 2,31,79,000/- (रूपये दो करोड़ इकतीस लाख उन्यासी हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अद्यतन अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नि.ख.-1 गाजीपुर	दिलदारनगर देवल मार्ग	55 /2023/1356 रासनि (11)/23-1-22/001-59 आरएसएन/2022 टीसी 3 दि 07.01.2023- दिनांक-07-01-2023	61.78 61.78 43.99 2.38 59.40	54.89	4.51	4.51
2	नि.ख.-1 गाजीपुर	भक्सी दिलदारनगर भदौरा गहमर बारा मगरखाई मार्ग	279 /2023/756 रासनि(1) /23-1-23/001-40 आरएसएन/2023 दिनंाक 16.03.2023- दिनांक-16-03-2023	49.84 49.84 40.36 0.24 49.60	42.60	7.00	7.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अद्यतन अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
3	नि.ख.-1 गाजीपुर	भदौरा देवल मार्ग	279 /2023/756 रासनि(1) /23-1-23/001-40 आरएसएन/2023 दिनंाक 16.03.2023-दिनांक-16-03-2023	128.71 128.71 96.35 2.07 126.64	111.47	15.17	15.17
4	प्रा.ख. चंदौली	जी0टी0 रौड से आलमपुर मार्ग का विशेषमरम्मत का कार्य	465/2022/1091 रासनि/23-1-22/002-52 आरएसएन/2022 टीसी-दिनांक-07-12-2022	67.54 67.54 57.39 0.06 67.48	57.14	10.34	10.34
5	प्रा.ख. चंदौली	चंधासी से भोगवार मार्ग के कटस्टोन मरम्मत व नाली निर्माण व शेष भाग में मरम्मत का कार्य किमी0-1, 2, 3, 4, 5	358/2021/1186 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0-2-दिनांक-17-12-2021	74.69 74.69 66.64 0.05 74.64	64.57	10.07	10.07
6	प्रा.ख. चंदौली	मुगलसराय भूपौली मार्ग से सैदपुरा संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	465/2022/1091 रासनि/23-1-22/002-52 आरएसएन/2022 टीसी-दिनांक-07-12-2022	68.76 68.76 55.86 0.06 68.70	62.93	5.77	5.77
7	प्रा.ख. वाराणसी	रथयात्रा भुल्लनपुर मार्ग में सतह सुधार, ड्रेन कवर, मिसिंग डिवाइडर का निर्माण/ मरम्मत, डिवाइडर/ आर.ओ.बी. बैरियर पेटिंग, मैन होल रेजिंग, इन्टरलाकिंग रोड फर्नीचर इत्यादि का कार्य	144/2023/223 रासनि/23-1-23/001-08 आरएसएन/2023 दिनांक-31-01-2023	460.76 460.76 327.36 34.18 426.58	388.45	38.13	38.13
8	प्रा.ख. वाराणसी	भोजूबीर सिन्धौरा मार्ग चैनेज 0.000 से 1.885 तक सतह सुधार, रोज्ड फुटपाथ पर चेकर्ड टाइल्स, रेलिंग, के.सी. ड्रेन एवं रोड फर्नीचर का कार्य	144/2023/223 रासनि/23-1-23/001-08 आरएसएन/2023 दिनांक-31-01-2023	371.46 371.46 151.43 19.00 352.46	334.74	17.72	17.72
9	प्रा.ख. वाराणसी	हुकुलगंज पाण्डेयपुर का विशेष मरम्मत का कार्य	144/2023/223 रासनि/23-1-23/001-08 आरएसएन/2023 दिनांक-31-01-2023	142.80 142.80 89.47 15.37 127.43	120.48	6.95	6.95
10	प्रा.ख. वाराणसी	वरूणा पुल से लहुराबीर (तेलियाबाग) तक सतह	144/2023/223 रासनि/23-1-23/001-	286.49 286.49 143.71	246.04	39.89	39.89

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अद्यतन अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		सुधार मेनहोल रेजिंग, डिवाइडर पेन्टिंग रेलिंग रोड फर्नीचर एवं विविध कार्य।	08 आरएसएन/2023 दिनांक-31-01-2023	0.56 285.93			
11	प्रा.ख. वाराणसी	विश्वेश्वरगंज अलईपुर माल गोदाम मार्ग के सतह सुधार, रोड फर्नीचर एवं अन्य विविध कार्य	144/2023/223 रासनि/23-1-23/001-08 आरएसएन/2023 दिनांक-31-01-2023	259.42 259.42 166.39 8.33 251.09	228.83	22.26	22.26
12	प्रा.ख. वाराणसी	मोहनसराय दीनयाल उपाध्याय नगर चकिया मार्ग (एस0एच0-120) के चै0 14.520 से 20.860 तक मार्ग में सतह सुधार, रोड फर्नीचर एवं अन्य विविध कार्य।	290/2023/821 रासनि/23-1-23/006-52 आरएसएन/2022 टीसी-दिनांक-22-03-2023	750.22 750.22 625.34 10.32 739.90	712.70	27.20	27.20
13	प्रा.ख. वाराणसी	मोहनसराय दीनदयाल उपाध्याय चकिया मार्ग के चैनेज 11.180 से 11.780 तक रेलवे उपरिगामी सेतु पर रेलिंग पेन्टिंग, रोड फर्नीचर एवं क्रैश बैरियर के मरम्मत एवं चै. 12.220 से 14.520 तक चैकाघाट लहरतारा फ्लाई ओवर के दोनों ओर सर्विस लेन का सतह सुधार, रौड फर्नीचर का कार्य	144/2023/223 रासनि/23-1-23/001-08 आरएसएन/2023 दिनांक-31-01-2023	368.08 368.08 164.63 0.83 367.25	313.69	53.56	26.78
						कुल योग-	**231.79**

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2025 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2025 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/ प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 2,31,79,000/- (रूपये दो करोड़ इकतीस लाख उन्यासी हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक "3054**043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-375/2024/आई/731596(1)/23-1-24/008-23-1002(002)/117/2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2-महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी),प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3-जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4-मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5-मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6-संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
7-वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8-वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9-वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10-लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11-नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12-गार्ड फाइल

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।